बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या : 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०–05/2025/8116/पं०रा० पटना दिनांक 27/6/25

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध करते हुए गाँवों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पंचायतों को सौंपी गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया है। इसमें स्थानीय स्व–शासन को सुदृढ़ करने तथा ग्राम–स्तर पर 'जिम्मेदार और संवेदनशील' नेतृत्व विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है।

2. इसी क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित

प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाना प्रावधानित है।

3. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराये जाने की माँग लगातार की जाती रही है। साथ ही इस संबंध में सदन के माध्यम से भी कई ध्यानाकर्षण प्राप्त हुए हैं।

4. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद पर बने रहने तक के दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान पर औसतन वार्षिक व्यय लगभग ₹20,00,00,000.00 (बीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि आकलित है।

5. उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में **त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

6. इस अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस मद में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर पर्याप्त आवंटन जिला पदाधिकारी को दिया जायेगा।

7. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों निम्नांकित स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा :–

(क) यदि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि किसी आपराधिक घटना में संलिप्त रहे हों या उनकी मृत्यु पुलिस/सुरक्षा बलों आदि से मुठभेड़ में हो जाती है तब उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख) साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु अगर आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय विरोधाभाव/ निर्वाचन संबंधी हिंसा /सामूहिक हिंसा एवं हिंसा की घटनाओं में होती है और मृतक के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष), बिहार, सरकार के संकल्प संख्या ए०/विविध–(38)–60–2008–8960 दिनांक 30.09.2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान प्राप्त हो चुका हो तो उन्हें पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमान्य अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. इस मद में होने वाला व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :–

"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0101–मुख्यालय पंचायत स्थापना अंतर्गत विषय शीर्ष–0101.37.01–अनुग्रह अनुदान"। इसका विपत्र कोड–16-2515000010101 एवं मांग संख्या–16 है।

9. यह सुविधा आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

10. **इस प्रस्ताव पर संचिका सं० 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०–05/2025 के पृष्ठ–15/टि० पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 24.06.2025 के मद संख्या–19 में अनुमोदन प्राप्त है।**

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

26/6/25

(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक : 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०–05/2025/8116/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक : 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०–05/2025/8116/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक : 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०–05/2025/8116/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य मुखिया सरपंच

प्रशिक्षण संस्थान/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 26/6/25
सचिव

ज्ञापांक : 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०–05/2025/8116/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 26/6/25
सचिव

ज्ञापांक : 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०–05/2025/8116/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 26/6/25
सचिव

ज्ञापांक : 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०–05/2025/8116/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार) 26/6/25
सचिव